



**आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र)
ZONAL TRAINING INSTITUTE (EAST ZONE)**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी की इकाई
(A Unit of Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) : (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7, लू-सून सरनी, टेरीटी बाजार : 7, Lu-Hsun Sarani, Territy Bazar,

नई सी.आई.टी रोड/New C.I.T. Road, कोलकाता/ Kolkata – 700 073

दूरभाष/ Phone: 22258226/27 फैक्स सं./ Fax No. 2225-8921

ई-मेल/E-mail: zti.east@epfindia.gov.in

निविदा सूचनासंख्या:EPFO/ZTI-EZ/269/CANTEEN/Vol.III

निविदा सूचना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-(पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी की एक इकाई) आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, कोलकाता नियमों और शर्तों के अंतर्गत कैंटीन के प्रबंधन तथा मानवशक्ति की आपूर्ति करने के लिए एक वर्ष के लिए (जो पारस्परिक सहमति से बढ़ाई जा सकती है) प्रतिष्ठित / अनुभवी एजेंसियों से जो अपेक्षित पात्रता शर्तें रखते हैं, अलगअलग – मुहरबंद लिफाफे में (भाग 1-पूर्व योग्यता बोली एवं भाग 2 वित्तीय बोली) मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज और विवरण इस संस्थान की नकद विभाग से 28.05.2018 (10.30 am) से 01.06.2018 (4.30 pm) तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) एवं सीपीपी पोर्टल (www.eprocure.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

ZTI-EZ,कोलकाता में निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख	:08.06.2018 (04.30 pm)
ZTI-EZ,कोलकाता में निविदाएं (केवलपूर्व योग्यता बोली) खोलने की तारीख	:11.06.2018 (02.30 pm)
ZTI-EZ,कोलकाता में निविदाएं (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख	:11.06.2018 (04.30 pm)

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, कोलकाता बिना बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I
आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, कोलकाता



.आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र)
ZONAL TRAINING INSTITUTE (EAST ZONE)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी की इकाई
(A Unit of Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security)



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) : (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7, लू-सून सरनी, टेरीटी बाजार : 7, Lu-Hsun Sarani, Territy Bazar,
नई सी.आई.टी रोड/New C.I.T. Road, कोलकाता/ Kolkata – 700 073

दूरभाष/ Phone: 22258226/27 फैक्स सं./ Fax No. 2225-8921

ई-मेल/E-mail: zti.east@epfindia.gov.in

Tender Notice No.: EPFO/ZTI-EZ /269/CANTEEN/VOL.III

TENDER NOTICE

Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata (An Unit of PDUNASS - Employees Provident Fund Organization, under Ministry of Labour & Employment, Govt. of India), invites Sealed Tenders (Part-I – Pre-qualification Bid, Part-II – Financial Bid) in separate sealed covers from reputed experienced Agencies with requisite eligibility conditions for Supply of Manpower and Management of Canteen for a period of One year (extendable further as per mutual consent) subject to terms & conditions as specified.

Tender documents with details with can be obtained from the Cash Section of the Institute from 28.05.2018 (10.30 a.m.) to 01.06.2018 (4.30 p.m.) or can be downloaded from the official website of EPFO www.epfindia.gov.in and CPP portal (www.eprocure.gov.in)

Last date of receipt of Tender at ZTI-EZ, Kolkata	: 08.06.2018 (4.30 p.m.).
Date of opening of Tenders (Pre-qualification bids only)	: 11.06.2018 (02.30 p.m.)
Date of opening of Tenders (Financial bids)	: 11.06.2018 (04.30 p.m.)

The Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

Regional Provident Fund Commissioner – I,
Zonal Training Institute, East Zone.



आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र)
ZONAL TRAINING INSTITUTE (EAST ZONE)
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी की इकाई
(A Unit of Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) : (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7, लू-सून सरनी, टेरीटी बाजार : 7, Lu-Hsun Sarani, Territy Bazar,
नई सी.आई.टी रोड/New C.I.T. Road, कोलकाता/ Kolkata – 700 073

दूरभाष/ Phone: 22258226/27 फैक्स सं./ Fax No. 2225-8921

ई-मेल/E-mail: zti.east@epfindia.gov.in

निविदा नं. EPFO/ZTI-EZ/269/CANTEEN/VOL.III

निविदा कागजात

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, कोलकाता में कैंटीन सेवा
प्रदान करने के लिए निविदा

निविदा की सूची

निविदा दस्तावेज के जारी होने की शुरुआत की तारीख:	28.05.2018 को 10.30 बजे पूर्वा.
निविदा दस्तावेज जारी करने के लिए अंतिम तिथि:	01.06.2018 को 04.30 बजे अप्.
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि:	08.06.2018 को 04.30 बजे अप्.
पूर्व योग्यता बोली खोलने की तारीख:	11.06.2018 को 02.30 बजे अप्.
वित्तीय बोली खुलने की तारीख:	11.06.2018 को 04.30 बजे अप्.

I. सामान्य

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी जोन (पडनास, क.भ.नि.सं. की एक इकाई) द्वारा दो बोली सिस्टम अर्थात पूर्व-योग्यता बोली और वित्तीय बोली, के अंतर्गत प्रतिष्ठित और अनुभवी कंपनियों/फर्मों/ एजेंसियों से आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र) में अपेक्षित संख्या (जैसा कि नीचे बताया गया है) में जनशक्ति (मैन पावर) कैंटीन सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंध की शुरुआत की तारीख से एक वर्ष के लिए, जब तक कि संबंधित पक्षों की पारस्परिक सहमति से और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तों पर आ.प्र.सं. कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे विस्तार न किया जाए या यहां निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार निरस्त नहीं किया गया है, मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित किए जाते हैं।

II. निविदा का विवरण

1. प्राधिकार का नाम और पता:

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, ईपीएफओ, 7, लू सुन सरणी, टेरीटेरी बाजार, कोलकाता 73;

2. निविदा दस्तावेज के वितरण के लिए पता:

निविदा दस्तावेज पैरा 2 (4) में दिए गए पते पर स्थित आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र के रोकड़ अनुभाग से खरीदा जा सकता है।

3. संपर्क व्यक्ति:

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री बासुदेब मुखोपाध्याय, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी अंचल, फोन नं (033) 22254740; संपर्क किया जा सकता है:

4. कार्यालय का पता:

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान: पूर्व अंचल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एकेडमी की एक इकाई)

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

7, लू-सुन सरणी, टेरीटेरी बाजार,

न्यू, सी.आई.टी., रोड, कोलकाता - 700 073

ई-मेल: zti.east@epfindia.gov.in और ztiezepfo@yahoo.co.in टेली फैक्स नं 2225-8921 /

फोन: 22258226/7

5. निविदा दस्तावेज की लागत:

क) निविदा फीस: निविदा दस्तावेज ऊपर स्थित पैरा 2 (4) में दिए गए पते आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय से कोलकाता में देय "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र" के पक्ष में रु. 500 / - (रुपया पांच सौ मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नकद खरीदा जा सकता है। निविदा शुल्क के भुगतान की रसीद पूर्व-योग्यता बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए। निविदा दस्तावेज शुल्क वापसी योग्य नहीं है। अपेक्षित शुल्क के बिना प्रस्तुत निविदा को खारिज कर दिया जाएगा। (यदि राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम (एनएसआईसी) के अंतर्गत छूट प्रदान नहीं की गई हो।)

ख) बयाना रकम जमा (ईएमडी): रु.15000/- (रु.पंद्रह हजार रुपए) की बयाना राशि (ईएमडी), (ब्याज के बिना वापसी योग्य) पूर्व-योग्यता बोली के साथ कोलकाता में देय "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व क्षेत्र" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के साथ होगी अन्यथा निविदा को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा। (यदि राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम (एनएसआईसी) के अंतर्गत छूट प्रदान नहीं की गई हो।)

ग) निष्पादन सुरक्षा जमा: सफल बोलीदाता को कोलकाता में देय "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र" के पक्ष में रिवाल्विंग बैंक गारंटी के रूप में 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) का निष्पादन सुरक्षा जमा जमा करना होगा, जिसकी वैधता एक वर्ष और अतिरिक्त तीस दिन की होगी। यदि अनुबंध को

एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ा दिया जाता है, तो तदनुसार निष्पादन सुरक्षा जमा को सफल बोलीदाता द्वारा नवीनीकृत कराना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादन सुरक्षा जमा देने के बाद संबंधित ईएमडी जारी किया जाएगा।

6. निविदा की वैधता: निविदा वितीय बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी।

III. काम की गुंजाइश: यह निविदा "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व क्षेत्र", कोलकाता में कार्यरत प्रशिक्षुओं, स्टाफों एवं संकायों के लिए कैंटीन की सुविधा प्रदान करने के लिए है। ठेकेदार से आशा की जाती है कि वह कुशलतापूर्वक कैंटीन चलाए और "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व क्षेत्र", कोलकाता में प्रशिक्षुओं, संकायों और कार्यालय के कर्मचारियों के लिए चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, नाश्ता और रात का खाना प्रदान करे। नियमित रूप से खानपान सेवा के अलावा, कैंटीन आधिकारिक काम के लिए संस्थान के लिए अधिकृत आगंतुकों की जरूरतों के साथ ही समय-समय पर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने वालों के लिए भी खान पान की सेवा को पूरा करेगा। चाय, कॉफी, नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स और दोपहर का भोजन भी बैठकों में अथवा अन्य प्रयोजनों में एवं जब भी और जहां भी "आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व क्षेत्र", कोलकाता के परिसर के भीतर में आवश्यक होगा, दिया जाएगा।

IV) योग्यता: पूर्व-योग्यता बोली में निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए:

1. एजेंसी को वैध ईपीएफ और ईएसआईसी कोड नंबर और सर्विस टैक्स नं होनी चाहिए;
2. एजेंसी के पास कैटरिंग सेवा करने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों प्रतिष्ठानों में होना चाहिए एवं उसके समर्थन में दस्तावेज के साक्ष्य को संलग्न किया जाए।
3. निविदा-आवेदक के पास सभी नवीनतम लाइसेंस / प्रमाण पत्र / खाद्य वस्तुओं को प्रदान करने/ कैंटीन आदि चलाने के लिए आवश्यक प्राधिकार होने चाहिए।
4. रुपए 15,000 / - (रुपये पंद्रह हजार केवल) का ई.एम.डी "Zonal Training Institute, East Zone के पक्ष में तथा कोलकाता में देय डिमान्ड ड्राफ्ट रूप में होनी चाहिए।
5. एजेंसी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र/लाइसेंस होना चाहिए और इसका प्रमाणिक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:

क) संबंधित अधिनियम (ओं) के तहत कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र;

ख) पैन/टीएएन/सर्विस टैक्स/जीएसटी नंबर की प्रमाणित फोटोकॉपी;

ग) पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रमाणित फोटोकॉपी;

घ) कम से कम 3 वर्षों का सेवाकर की प्रमाणित फोटोकॉपी;

ड.) पिछले 3 वितीय वर्षों के दौरान केंद्रीय / राज्य सरकार के कार्यालयों / पीएसयूएस / निजी संस्थानों के साथ संसाधित समान संविदा के प्रमाणित फोटोकॉपी;

च) नवीनतम ईपीएफ और ईएसआईसी चालानों की साक्षांकित फोटोकॉपी संलग्न होना चाहिए;

छ) खाद्य लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेजों की साक्षात्कृत फोटोकॉपी संलग्न होना चाहिए।

V. बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश: सभी निविदाएं निम्न निर्देशों के अनुसार तैयार की जाएंगी और जमा की जाएंगी:

1. बोली दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। पहले लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में "पूर्व-योग्यता बोली" लिखा होगा और इसके अंदर **अनुलग्नक-1** होगा जिसमें उपरोक्त बताए गए दस्तावेजों के साथ पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी शामिल है और दूसरे लिफाफे, जिसके भीतर **अनुलग्नक-2** होगा, के ऊपर मोटे अक्षरों में "वित्तीय बोली" लिखा रहेगा।
2. दोनों लिफाफे और बोली पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुहर के साथ व्यवस्थित रूप से हस्ताक्षर किए गए निविदा दस्तावेज (सभी संलग्नक सहित) के साथ अग्रेषण पत्र, दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में " Bid for Providing Canteen Services and Manpower supply at Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata " और निर्धारित समय सीमा की समाप्ति या उसके पहले निम्न लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त / डी.डी.ओ.

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान: पूर्व अंचल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एकेडमी की एक इकाई)

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

7, लू-सुन सरणी, टेरीटेरी बाजार,

न्यू, सी.आई.टी., रोड, कोलकाता - 700 073

3. बिना मुद्रित/टाईप किए गए निविदा पर बिचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बोलीदाता की मुहर सहित हस्ताक्षर किए गए हैं।
4. निविदा पत्र में सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरे जाने चाहिए। अगर सूचना देने की जगह अपर्याप्त है, तो प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ एक अलग से पत्र संलग्न किया जा सकता है। वित्तीय बोली में अधिलेखन या स्ट्राइक आउट सहित कोई भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में, निविदा को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।
5. यदि किसी भी बोलीदाता का आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) के किसी भी कर्मचारी के साथ व्यवसाय या पारिवारिक रिश्ते मिले, तो उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
6. किसी भी परिस्थिति में प्रस्तुत की गई बोली में किसी संशोधन या प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. बोलियों को बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों, यदि कोई, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहेंगे, की उपस्थिति में, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता में निर्धारित समय और समय पर खोला जाएगा,। इसके लिए बोलीदाताओं को कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी।

8. बोलीदाताओं को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा स्व प्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना होगा।
9. लागत (निविदा फीस और ईएमडी) के बिना प्रस्तुत की गई बोली और अपूर्ण या सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे खारिज कर दिया जाएगा।
10. निविदाएं निविदा सूचना या बाद के विस्तार, जो कि कार्यालय के द्वारा अधिसूचित हो, यदि कोई हो, में निर्धारित समय और तारीख के बाद स्वीकार नहीं की जाएंगी।
11. आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र) पोस्ट / कूरियर द्वारा भेजे गए बोली की देरी, हानि या अप्राप्ति की जिम्मेदारी नहीं लेता है। फैक्स या ईमेल के माध्यम से भेजे गए बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. इच्छुक पार्टियाँ ऊपर स्थित लोकेशन, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता में कैटीन का निरीक्षण करने के बाद अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। कैटीन परिसर का निरीक्षण 11.00 बजे पूर्व. से 5.00 बजे अप् के बीच अधिसूचना जारी होने की तिथि से निविदा के बंद होने की तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर किया जा सकता है।
13. निविदाएं / कोटेशन में कोई कटौती / ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए।
14. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) अधूरे कोटेशन के मामले में बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी निविदा / कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी विवाद के मामले में, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्णय, पूर्व क्षेत्र अंतिम और बाध्यकारी होगा।
15. आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र) एक बार जमा किए बोलियों को जमा रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. सूचना की भाषा में किसी प्रकार की विसंगति होने पर अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा।

इन निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए प्रस्ताव को बिना कोई सूचना दिए तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

VI. नियम और शर्तें:

1. सफल बोलीदाता को कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा, जहां वह आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र) (आं.प्र.सं. पू.क्षे.) के साथ एक समझौता करेगा और तत्काल सूचना जारी होने के 2 दिनों के भीतर अथवा अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि से कार्य शुरू करेगा। अनुबंध साइट पर काम के वास्तविक रूप से प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होगा। अनुबंध एक वर्ष तक जारी रहेगा जब तक कि सेवाओं में कमी, तैनात कुशल और अकुशल व्यक्तियों की तैनाती के मानक हीन गुणवत्ता, अनुबंध का उल्लंघन, आवश्यकताओं की कमी या समाप्ति के कारण कार्यालय द्वारा कटौती या समाप्त हो जाती है। वैधानिक आवश्यकताओं/बोलीदाताओं के द्वारा दायित्वों का अनुपालन नहीं किया जाता है या किसी ऐसे आधार पर जो आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाए।
2. यह ध्यान दिया जाए कि सफल निविदा-आवेदक / बोलीदाता प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 2 कार्य दिवसों के भीतर यदि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो सफल निविदा-आवेदक की जमा

बयाना रकम को जब्त कर लिया जाएगी और भविष्य में आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्व क्षेत्र द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भागीदारी के लिए निविदा-आवेदक को हटा दिया जाएगा।

3. निविदा (एं) अनुबंध प्रदान करने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। अगर वैधता अवधि के दौरान कोई निविदा-आवेदक वापस ले लेता है, तो उसकी / उसकी प्रदर्शन सुरक्षा गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

4. उपर्युक्त सभी नियम और शर्तें सूचना निविदा आमंत्रित करने के अभिन्न अंग हैं।

5. बिजली: नि: शुल्क। लेकिन यह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एजेंसी केवल रेफ्रिजरेटर, हॉट केस, दालों और ममालों को पीसने की और इस तरह के अन्य काम जिसके लिए संस्थान द्वारा अनुमति प्राप्त हो, बिजली की खपत का प्रयोग करेंगे।

6. कैटीन परिसर के भीतर उपयोग के लिए आवश्यक भंडारण प्रयोजनों आदि के लिए आवश्यक रैक सहित फर्नीचर संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा।

7. ठेकेदार संस्थान की संतुष्टी हेतु कैटीन एवं इसके आसपास की साफ-सफाई की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा ठेकेदार कैटीन के कचड़ों को स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

8. क्राकरी, बर्तन आदि और संस्थान द्वारा अनुमोदित अच्छी गुणवत्ता वाले इस प्रकार के अन्य सामग्रियां संस्थान के द्वारा दी जाएंगी। कैटीन चलाने हेतु ठेकेदार को इन सामग्रियों को उचित एवं हाइजेनिक स्थिति में अनिवार्य रूप में रखना होगा।

9. 20-30 व्यक्तियों के लिए चाय बिस्कुट के साथनाश्ता / दोपहर के भोजन, डिनर की नियमित आधार पर और 12-13 स्टाफ के सदस्यों के दोपहर के भोजन के लिए रियायती दर पर व्यवस्था

10. खाना पकाने और भोजन को गर्म और पानी को ठंडा रखने की सभी व्यवस्था एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

11. सभी खाद्य वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए तथा ताजा तेल में तैयार किया जाना चाहिए। संस्थान किसी भी समय इन सामग्रियों को निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि यह पाया जाता है कि कच्चे भोजन के लिए इस्तेमाल सामग्री घटिया गुणवत्ता के हैं तो अनुबंध तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा और निविदा-आवेदक को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

12. ठेकेदार कर्मचारियों को कमरे में सेवा के लिए के रूप में भी कैटीन में सेवा के लिए उचित वर्दी प्रदान करना होगा।

13. कैटीन के समय के रूप में बदलने के लिए विषय को समय समय पर संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कंकाल सेवाओं के रूप में भी कार्यालय समय के बाद प्रदान किया जाएगा और जब जरूरी है।

14. गैस ZTI में सेवन की लागत, ईंजी कैटीन ठेकेदार द्वारा और अनुबंध अदेयता प्रमाण पत्र के कार्यकाल की समाप्ति पर वहन किया जाएगा संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।

15. ठेकेदार कैटीन परिसर में कैटीन सेवा प्रदान करते हैं और यह भी संस्थान के विभिन्न कमरों में के रूप में और जरूरत पड़ने पर आवश्यक हो जाएगा।

16. ठेकेदार केवल इस तरह के लोगों को रोजगार के रूप में चिकित्सकीय फिट के रूप में सरकार द्वारा प्रमाणित घोषित कर रहे हैं जाएगा। अस्पताल। ऐसी कोई भी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु के तहत किया जाएगा। दस्तावेजी सबूत ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

17. ठेकेदार कैटीन परिसर में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

18. ठेकेदार मरम्मत / रखरखाव, साफ-सफाई, टूटना और नुकसान के निर्माण और स्वच्छता, बिजली और किसी अन्य फिटिंग और जुड़नार दोपहर के भोजन की तैयारी के उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे करने के लिए प्रदान की place में स्थापित करने के लिए किया के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, चाय और कॉफी। ठेकेदार को उपलब्ध कराई

फर्नीचर कैटीन से ठीक से बनाए रखा जाएगा। कोई हानि / क्षति ही करने के लिए ठेकेदार द्वारा अच्छा बनाया जा रहा है, उसकी कीमत पर होगा। *

19. माल जैसे चाय, मसाले, खाद्य सामग्री, सब्जी के रूप में खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है; तेल आदि केवल अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए।

20. ठेकेदार आग के खतरों के खिलाफ सभी आवश्यक सावधानी बरतने और नियमों और विनियमों का संबंध स्थानीय अधिकारियों द्वारा और संस्थान की संतुष्टि के लिए निर्धारित के रूप में साथ पालन करेंगे।

21. कार्य लंच के विवरण संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा जब जरूरत होगा।

22. कोई दर संस्थान के अनुमोदन के बिना संशोधित नहीं किया जाएगा।

23. ठेकेदार के रूप में समय-समय पर संशोधित लगे कर्मचारियों को कानूनी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, आदि जैसे सभी वैधानिक देनदारियों को पालन करना होगा।

24. किसी भी तरीके से संस्थान इन कर्मचारियों के नियोक्ता के रूप में व्यवहार नहीं किया जाएगा और न ही संस्थान उनके रोजगार की दृष्टि से, या उनकी सेवाओं की शर्तों के साथ संबंध की जाएगी, नियोक्ता के रिश्ते के बाद से और कर्मचारियों को हमेशा के बीच होने का विचार किया जाएगा ठेकेदार और ऐसे व्यक्तियों, के रूप में ठेकेदार द्वारा लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों को उलझाने, वहीं ठेकेदार इन शर्तों उन्हें स्पष्ट और लिखित रूप में करने के लिए स्पष्ट कर देगा, और इन शर्तों की अपनी स्वीकृति भी संस्थान के लिए सूचित किया जाएगा।

25. ठेकेदार ठेकेदार श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम 1970 (बाद में ठेकेदार श्रम अधिनियम के रूप में कहा गया है) और उपयुक्त अधिकारियों से अपनी लागत पर सभी अन्य आवश्यक लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त करने और नियमों और लाइसेंस की शर्तों का पालन की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है और अधिनियमों के लिए लागू नियमों के संगत प्रावधानों के अनुपालन हमेशा ठेकेदार के लिए है कि पूरे जिम्मेदारी पर सहमत होना चाहिए।

26. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि कैटीन कमरे को ठीक से बंद कर दिया और बंद घंटे के दौरान सुरक्षित हैं। के रूप में निर्धारित समय और जो उसे और उसके कर्मचारियों पर बाध्यकारी होगा-समय पर संस्थान द्वारा विनियमित परिसर ठेकेदार को आवंटित करने के लिए उपयोग शर्तों के अनुसार और मोड में होगा। संस्थान परिसर में किसी भी समय पर कैटीन की दुकान सहित ठेकेदार को आवंटित निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. ठेकेदार संस्थान के बाहर से किसी भी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करेगा / किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा

28. अनुबंध एक साल के लिए सम्मानित किया जाएगा। अनुबंध प्रभावी होगा और प्रभाव भी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से, या तारीख, जिस समझौते में निर्दिष्ट किया जाएगा के साथ शुरू करने के लिए समझा जाएगा। समझौते के रूप में परस्पर दलों के बीच सहमति हो सकता है इस तरह के नियम और शर्तों पर संस्थान द्वारा नए सिरे से किया जा सकता है। जोनल प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, एक महीने का नोटिस दे अगर यह कहा ठेकेदार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है के बाद किसी भी समय अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में ZTI, ईज़ी, कोलकाता निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। ठेकेदार, अगर वह चाहे तो, समझौते की अवधि के दौरान कम से कम तीन महीने की अवधि का लिखित नोटिस देकर अनुबंध की समाप्ति की मांग कर सकता है।

29. ठेकेदार, हर समय, यह सुनिश्चित करेगा अपने कर्मचारियों से अनुशासन, मध्य और विनम्र व्यवहार करते हुए वे ZTI, ईज़ी के परिसर में रहते हैं। मामले में अपने कर्मचारियों के किसी भी अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार या नारा चिल्ला के किसी भी कृत्य में भोगता है या हिंसक अधिनियम (ओं) में भोगता है या ऐसा है, बीमार बर्ताव करने में दूसरों की ही शह मिलती है और इसे प्रथम दृष्टया साबित कर दिया है ठेकेदार कर्मचारी से संबंध को दूर करेगा जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता से लिखित संचार जो विधिवत ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया जाएगा प्राप्त होने पर तुरंत परिसर से out करेगा।

30. असाधारण परिस्थितियों में संस्थान के रूप में और जब warranted किसी भी शब्द और हालत को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. अनुबंध के नियम और शर्तों की व्याख्या से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, ZTI, ईज़ी कोलकाता के मुखिया का निर्णय, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

32. ठेकेदार निर्धारित प्रपत्र मामले में अनुबंध से सम्मानित किया जाता है में एक समझौते पर अमल करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।

33. ठेकेदार को जमा करना होगा 20,000 / - डी.डी. के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा गारंटी के रूप में ऑचलिक प्रशिक्षण संस्थान, ईस्ट जोन के पक्ष में तैयार कोलकाता में देय। कोई ब्याज इस राशि पर नहीं भुगतान किया जाएगा। यह वापस किया जाएगा जब अनुबंध खत्म हो गया है और कैटीन परिसर अच्छी स्थिति में संस्थान को सौंप दिया जाता है और ठेकेदार से सभी बकाया राशि का निपटारा कर दिया गया है।

34. ठेकेदार नहीं आगे उप अनुबंध किसी भी अन्य पार्टी के लिए अनुबंध होगा। मामले में ठेकेदार उप अनुबंधित इस अनुबंध, अनुबंध के किसी भी नोटिस और सुरक्षा जमा जब्त किया जाएगा बिना समाप्त हो जाएगा कर पाया है।

35. हर निविदा रुपये 15,000 / - के डिमांड ड्राफ्ट के साथ किया जाना चाहिए। ऑचलिक प्रशिक्षण संस्थान, ईस्ट जोन के पक्ष में तैयार कोलकाता में देय के पक्ष में तैयार। यह राशि सभी असफल बोलीदाताओं को वापस करने के बाद अनुबंध को अंतिम रूप दे रहा है हो जाएगा। कोई ब्याज नहीं इस राशि पर देय होगा। ईएमडी की राशि निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर सफल बोलीदाता को लौटा दी जाएगी।

36. इस मामले में, ठेकेदार शर्तें और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करती है, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

37. संशोधन सर्विस टैक्स नियम अधिसूचना नं 30/2012-सेवा कर दिनांक 20 वीं जून 2012, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सेवा कर देय के 25% की सीमा तक सर्विस टैक्स पर परिणामस्वरूप व्यक्ति या प्रदान की सहमति सेवाओं के संबंध में सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी द्वारा उस पर किसी भी प्रयोजन के लिए मानव शक्ति की आपूर्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके।

38. मेनू चार्ट में निर्दिष्ट किसी भी आइटम की कीमत में वृद्धि / बढ़ोतरी की दिशा में कोई अनुरोध और समझौते की अवधि के भीतर मंजूर नहीं किया जाएगा एजेंसी समझौते, रुपये के नुकसान की अवधि / अनुबंध के भीतर काम को बंद करना चाहता है। 20,000 / - प्रति माह समझौते की शेष अवधि के लिए लगाया जाएगा और बयाना सहित जोनल प्रशिक्षण संस्थान, ईस्ट जोन से देय राशि देय के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और / या एजेंसी पर उचित कानूनी कार्रवाई बिना आगे का अवसर देने के शुरू किया जा करने के लिए।

39. ठेकेदार, जो नियमों और शर्तों के रूप में साथ साथ उल्लेख स्वीकार करता है, पूरा निविदा प्रपत्रों को इस कार्यालय को सील कवर में 4.30 बजे तक या 08.06.2018 से पहले प्रस्तुत करेगा। निविदाओं जोनल प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता में 02:30 PM बजे (प्री क्वालिफिकेशन बिड) और 4.30 PM में (फाइनैशियल बिड) 11.06.2018 पर खोला जाएगा।

सातवीं। क्षतिपूर्ति:

1. ठेकेदार ZTI, ईजी ईपीएफओ और / इन कार्यालयों के सभी अधिकारियों के सभी सूट, हानि, दावा, मांग, कार्यवाही, और किसी भी प्रकार की देनदारी के खिलाफ क्षतिपूर्ति या वस्तु लागत और खर्च, किसी भी व्यक्ति के घायल होने सहित, किसी भी संपत्ति को नुकसान, फीस या परिणाम के लिए रखा जा सकता है जो या ठेकेदार द्वारा किए गए के सेवाओं कारण पीड़ित हैं।

2. ठेकेदार रखना होगा ZTI, ईजी ईपीएफओ और सभी अधिकारियों / इन कार्यालयों के अधिकारियों से और, दावा, मांग, कार्यवाही, और ठेकेदार से किसी ने सभी सूट नुकसान लाया या उनके खिलाफ शुरूआत की किसी भी प्रकार की देनदारी के खिलाफ क्षतिपूर्ति कर्मचारियों या के संबंध में किसी अन्य तीसरे पक्ष से संबंधित या के प्रदर्शन से उत्पन्न सेवाओं या गैर अनुपालन, कमी, सांविधिक आवश्यकताओं के विभिन्न प्रावधानों के गैर कार्यान्वयन।

3. ठेकेदार इस संबंध में मानक प्रारूप में ZTI, ईज़ी के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बांड पर अमल करेगा, 4. निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। हालांकि, इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद ईपीएफओ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के रूप में भेजा जा सकता है।
5. सभी विवादों कोलकाता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।

आठवीं। अप्रत्याशित घटना

1. न तो पार्टी इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के उल्लंघन में किया जाएगा अगर यह अप्रत्याशित घटना की वजह से पूरे या हिस्से में है कि दायित्व प्रदर्शन करने में असमर्थ है। या तो पार्टी इस खंड पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे तुरंत इस मामले में एक अप्रत्याशित घटना घटना के रूप में दावा के पूरे व्यौरे के साथ अन्य पार्टी के लिए नोटिस देना होगा। पार्टियों के इतने प्रभावित सभी उचित कदम उठाएगा प्रदर्शन करने के लिए और अन्य पार्टी के कदम अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए ले जाया जा रहा के बारे में सूचित रखने के लिए विफलता उपाय करने।
2. अप्रत्याशित घटना की घटना तीन महीने से अधिक के लिए स्थायी रूप से, किसी भी पार्टी, दूसरे के साथ परामर्श के बाद, समाप्ति का नोटिस दे सकता है।

निविदा-आवेदक के हस्ताक्षर: _____

बड़ा अक्षर में नाम: _____

टेलीफोन नंबर के साथ पूरा पता: _____

आधिकारिक मोहर _____

नौवीं। मूल्यांकन मानदंडों और पद्धति:

1. सबसे पहले, पूर्व योग्यताबोलीयुक्त लिफाफे सभी बोलीदाताओं के संबंध में खोला जाएगा।
2. आंतरिक मूल्यांकन समिति पूर्व योग्यता बोलियों का मूल्यांकन करेगा।
3. केवल बोली जो सफलतापूर्वक पूर्व अर्हता चरण में क्वालीफाई किया मूल्यांकन स्तर पर वित्तीय बोली तक पहुंच जाएगा।
4. पूर्व अर्हता चरण में असफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली नहीं खोला जाएगा।
5. केवल पूर्व योग्यता चरण में योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोला जाएगा।
6. बोलीदाता कम से कम समग्र दरों के हवाले से, सभी कानूनों और नियमों के अनुपालन के अधीन, वित्तीय बोली में स्वीकार किया जाएगा।

10 वीं ZTI, ईज़ी कार्यालय भवन के 3 मंजिल पर कैटीन के लिए प्रदान की गई

जगह का विवरण:

1. धोने कक्ष;
2. कैटीन हॉल;
3. रसोई कैटीन हॉल के निकट;
4. रसोई स्टोर

अनुबंध- I: पूर्व QUALIFICATION बोली के लिए प्रोफार्मा

क्रम सं	व्यौरे	दस्तावेज प्रस्तुत
1.	निविदा कंपनी का नाम / फर्म / एजेंसी (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	अनुलग्नक नं. 1
2.	कंपनी के मालिक / निदेशक का नाम / फर्म / एजेंसी (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें) -तदैव-	
3.	टेलीफोन नंबर, फैक्स और ई-मेल / मोबाइल / शाखा कार्यालयों के साथ कि वेबसाइट के साथ साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता, यदि लागू हो (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें) -तदैव-	
4.	रसीद / निविदा की डीडी शुल्क	अनुलग्नक नं. 2
5.	ईएमडी का डिमांड ड्राफ्ट	अनुलग्नक नं. 3
6.	पिछले तीन वर्षों अनुलग्नक संख्या के लिए वित्तीय कारोबार का सबूत	अनुलग्नक नं. 4
7.	एक उपक्रम के रूप में मामले में इस निविदा दस्तावेज सफल बोलीदाताके रूप में चयनित में निर्धारित एक प्रदर्शन सुरक्षा जमा जमा करने के लिए	अनुलग्नक नं. 5
8.	पैन / टैन संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	अनुलग्नक नं. 6
9.	हलफनामा करते हुए कहा कि एजेंसी black list नहीं है / केन्द्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सोसायटी / ट्रस्ट / सार्वजनिक लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है / निजी कंपनी	अनुलग्नक नं. 7
10.	आयकर के अनुप्रमाणित फोटो पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए देता है।	अनुलग्नक नं. 8
11.	एक बयान पढ़ा है समझ में आ रहा है और इस निविदा बोलीदाता / अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगी दस्तावेजों की एक प्रति के साथ मिलकर नियम और इस निविदा की शर्त पर सहमति व्यक्त की।	अनुलग्नक नं. 9
	इसी तरह के अनुबंध के	
12.	अनुप्रमाणित फोटो काम के सफल प्रदर्शन के लिए इस तरह के कार्यालयों में प्रमाण पत्र के साथ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निजी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ कर डाला।	अनुलग्नक नं. 10

दिनांक:

सील के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

अनुबंध - द्वितीय

1. भोजन की आपूर्ति के लिए दर चार्ट

(Manpower से प्रभार से अलग)

प्रशिक्षुओं पर

ऑचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	चाय के साथ नाश्ता	डिनर	चाय			कुल
					(सुबह की चाय) (6-6.30 AM)	1 चाय ब्रेक 11.15 AM	2 चाय के विश्राम 3.30 PM बजे	
रविवार								
सोमवार								
मंगलवार								
बुधवार								
गुरुवार								
शुक्रवार								
शनिवार								
कुल :								
07 दिनों के लिए औसत दर								

दिनांक:

सील के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

अनुबंध- II

2. अपेक्षित जनशक्ति के लिए प्रभार

क्र.सं.	विशेष	दर (रु। में)
01	रसोइया	
02	परिचारक	
03	सर्वर	

दिनांक:

सील के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

• ऑचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
प्रशिक्षुओं के लिए मेनू चार्ट

सुबह का नाश्ता

दिन	समय सूची	वस्तुओं की सूची आपूर्ति की
रविवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स, ब्रेड, मक्खन और जैम (4 पीस), उबले हुए अंडे (1) पीस, केला (1pc), मिठाई (1 पीस), चाय
सोमवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स, उपमा/पोहा, केला (1) पीस, मीठा (1 पीस), चाय
मंगलवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स आलू पराठा (3 पीस), चना दाल / Ghugnee, केला (1) पीस, मीठा (1 पीस), चाय
बुद्धवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स पुरी (6pc), Alu सब्जी, केला (1 पीसी) मीठा (1pc), चाय
गुरुवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स, ब्रेड, मक्खन और जैम (4 पीस), उबले हुए अंडे (1pc), एप्पल (1pc), मिठाई (1pc), चाय
शुक्रवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स, इडली व सांबर (4 पीसीएस), मीठे (1pc), केला- 1पीस, चाय
शनिवार	07:30 AM से 08:00 AM	दूध व कार्नफ्लैक्स, ब्रेड, मक्खन और जैम (4 पीस), उबले हुए अंडे (1) पीस, केला (1pc), मिठाई (1 पीस), चाय

दोपहर का भोजन

दिन	समय सूची	वस्तुओं की सूची आपूर्ति की
रविवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, अंडा करी (2पीस), दही
सोमवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, मछली (न्यूनतम 70 ग्राम।), सलाद, पापड़, दही
मंगलवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, डोका(2पीस), मछली आइटम (न्यूनतम 70 ग्राम।), सलाद, पापड़, दही।
बुद्धवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, चिकन करी (न्यूनतम 100 ग्राम।), सलाद, पापड़, Chatni/दही
गुरुवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, मछली (न्यूनतम 70 ग्राम), सलाद, पापड़, दही
शुक्रवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, मटन करी (न्यूनतम 100grms), Chatni/दही, पापड़, सलाद
शनिवार	12.45PM से 02.00 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जियां, अंडा करी (2pc), Chatni, पापड़, दही

चाय के साथ नाश्ता

दिन	समय सूची	वस्तुओं की सूची आपूर्ति की
रविवार	5.00 PM से 6.00 PM	सब्जी ड्राई फ्राई
सोमवार	5.00 PM से 6.00 PM	ढोकला
मंगलवार	5.00 PM से 6.00 PM	पनीर पकोड़ा
बुद्धवार	5.00 PM से 6.00 PM	समोसा
गुरुवार	5.00 PM से 6.00 PM	पनीर पकोड़ा
शुक्रवार	5.00 PM से 6.00 PM	सब्जी कटलेट
शनिवार	5.00 PM से 6.00 PM	मिश्रित सब्जी क्रिस्पी फ्राई

रात का खाना

दिन	समय सूची	वस्तुओं की सूची आपूर्ति की
रविवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, दाल, भाजी, एक मौसमी सब्जि, पापड़, दही
सोमवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, Tarka/ दाल, एक मौसमी सब्जि, मछलीकरी (न्यूनतम 70 ग्राम।), सलाद, दही
मंगलवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, दाल/ Chana masala, मिश्रित सब्जी, पापड़, दही, मिठाई
बुद्धवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, दाल, मौसमी सब्जि, मछलीकरी (न्यूनतम 70 ग्राम।), सलाद, दही, मिठाई
गुरुवार	8.30 PM से 9.30 PM	Fried Rice./Roti, आलू का दम / Dhokla curry (4 pc) अंडा करी (2 पीस), चटनी, (पपीता /Date)
शुक्रवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, दाल, एक मौसमी सब्जि, अंडा/omlet करी, सलाद, मिठाई
शनिवार	8.30 PM से 9.30 PM	Rice./Roti, दाल, /Chana masala, पनीर, सलाद, पापड़

- नोट: 1. शाकाहारी सब्जी प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार के अर्थात भिंडी, Caurli फूल, हरे मटर, शिमला मिर्च, सेम, मिश्रित सब्जी आदि होना चाहिए।
2. मछली आइटम बाजार अर्थात झींगे, Pomplate, कतला, रोहू, Pabda आदि में उपलब्ध मछली के विभिन्न प्रकार के साथ प्रत्येक दिन अलग-अलग होना चाहिए।
3. खाद्य चार्ट का कड़ाई से पालन किया जाए।



आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व क्षेत्र)
ZONAL TRAINING INSTITUTE (EAST ZONE)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी की इकाई
(A Unit of Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) : (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7, लू-सून सरनी, टेरीटी बाजार :7, Lu-Hsun Sarani, Territy Bazar,

नई सी.आई.टी रोड/New C.I.T. Road, कोलकाता/ Kolkata – 700 073

दूरभाष/ Phone: 22258226/27 फैक्स सं./ Fax No. 2225-8921

ई-मेल/E-mail: zti.east@epfindia.gov.in

TENDER NO. EPFO/ZTI-EZ/269/Canteen/Vol.III

TENDER DOCUMENT

Tender for
Providing Canteen Services at
Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata

SCHEDULE OF TENDER

Date of start of issue of Tender Documents	: 10.30 AM of 28.05.2018
Last Date for issue of tender documents	: 04.30 PM of 01.06.2018
Last Date for Submission of Tender Form	: 04.30 PM of 08.06.2018
Date of opening of Pre-Qualification Bids	: 02.30 PM of 11.06.2018
Date of Opening of Financial Bids	: 04.30 PM of 11.06.2018

I. GENERAL

Sealed tenders are invited by the Zonal Training Institute, East Zone (A Unit of PDUNASS, EPFO) from reputed and experienced Companies/Firms/Agencies under Two Bid System, i.e. the Pre-qualification Bid and Financial Bid for providing **Canteen services with supply of manpower of requisite number** at **Zonal Training Institute, East Zone** for **One year** from the date of commencement of the contract, extenable further by mutual consent of the Parties concerned and under ratification of the Competent Authority of ZTI, Kolkata on the same terms and conditions as mentioned in the tender document, or unless terminated in accordance with the terms and conditions mention herein.

II. PARTICULARS OF THE TENDER

- 1. NAME AND ADDRESS OF THE AUTHORITY :** RPFC I, Zonal Training Institute, East Zone, EPFO, 7, Lu Hsun Sarani , Teritty Bazar, Kolkata-73;
- 2. ADDRESS FOR THE DISTRIBUTION OF TENDER DOCUMENT:** The tender document can be purchased from the cash section of the Zonal Training Institute, East Zone situated at the address given at point 4 below;
- 3. CONTACT PERSONS:** For any Clarifications, may contact Shri Basudeb Mukhopadhyay, Assistant Provident Fund Commissioner, Zonal Training Institute, East Zone, Phone No. (033) 22254740;

4. ADDRESS OF THE OFFICE:

ZONAL TRAINING INSTITUTE, EAST ZONE,

(Unit of ***Pd. Dindayal Upadhyay National Academy of Social Security***)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7 Lu Hsun Sarani :: Territy Bazar, Kolkata – 700 073

E-mail: zti.ez@epfindia.gov.in & ztiezepfo@yahoo.co.in

Tele-Fax No. 2225-8921/ Phone: 22258226/7

5. COST OF TENDER DOCUMENTS:

- a. TENDER FEES:** The tender documents can be purchased from the office of the Zonal Training Institute, East Zone situated at the address given at Para 2 (e) below by paying the Tender Document Fee of Rs. **500** (RUPEES FIVE HUNDRED ONLY) through Demand Draft in favor of "**Zonal Training Institute, East Zone**", payable at Kolkata. The receipt for payment of tender fees shall be attached along with the Pre-Qualification Bid. The tender document fee is **NON-REFUNDABLE**. **Any tender submitted without the requisite fee will be rejected summarily except exempted under National Small Industries Corporation (NSIC).**

- b. EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD):** The Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.15,000/-(Rupees Fifteen Thousand Only), (refundable without interest) shall accompany the Pre-qualification bid in the form of Demand Draft in favor of "**Zonal Training Institute, East Zone**", payable at Kolkata, **failing which the tender shall be rejected summarily except exempted under National Small Industries Corporation (NSIC).**
- c. PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT:** The successful Bidder will have to deposit a Performance Security Deposit of Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand Only) in the form of revolving Bank Guarantee in favour of "**Zonal Training Institute, East Zone**", payable at Kolkata, for one year and **additional** thirty days. In case the contract is further extended beyond the initial period of one year, the performance security deposit will have to be accordingly renewed by the successful Bidder. After submission of the performance security by the successful Bidder, the corresponding EMD shall be released.
- 6. VALIDITY OF TENDER:** Tender shall be valid for a period of 90 days from the date of Opening of the Financial bid.

III. SCOPE OF WORK: This tender is meant for providing canteen facility for the Trainees, Faculties and Office Staff at Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata. Contractor is required to run the canteen and serve Tea, Breakfast, Lunch, snacks and Dinner to Trainees, Faculties and Office Staff at Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata. In addition to the regular Catering Services, the canteen will also cater to the needs of the authorized visitors to the Institute for official work as well as to the participants in workshops organized by the Institute from time to time. Tea, Coffee, Snacks, Cold Drinks and lunch shall also be served at meetings or for other purposes, whenever and wherever required within the premises of Zonal Training Institute (EZ), Kolkata.

IV. ELIGIBILITY: The following requirements should be fulfilled in the Pre-qualification Bid:

- 1.** The agency should have valid EPF and ESIC Code numbers and Service Tax No ;
- 2.** The Agency should have at least 5 years' experience of having rendered in Catering Services out of which at least 3 years should be in Government organizations/PSUs establishments and documentary evidence in support thereof is to be enclosed ;
- 3.** The tender-applicant shall possess all the latest licenses/ certificates/ authorization required for running of the canteen / supply of food items etc;
- 4.** EMD of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only) in the form of Demand Draft in favor of "**Zonal Training Institute, East Zone**", payable at Kolkata.
- 5.** The agency should have following certificates/licenses and shall submit authentic proof thereof:
 - a.** Registration Certificate of The Company/Firm/Agency under the relevant Act(s);
 - b.** Attested Photocopy of PAN/TAN/Service Tax /GST no. as applicable;
 - c.** Attested Photocopies of Income Tax Returns for the last 3 years.;
 - d.** Attested Photocopies of Service Tax Return for at least 3 years and all GST returns till date ;
 - e.** Attested Photocopies of similar contract executed with Central/State Government offices/ PSUs /Private Institutes of Repute during last 3 financial years;
 - f.** Attested Photocopies of the latest EPF and ESIC challans should be enclosed;
 - g.** Attested Photocopies of Food license & other related documents have to be enclosed.

V. INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF BID: All the Tenders shall be prepared and submitted in accordance with the instructions as follows:

1. The bid shall be submitted in two separate sealed envelopes. The first envelope shall be super scribed "Prequalification Bid" and shall contain **Annexure I** incorporating the information regarding eligibility criteria **along with the documents as stated above** and the second envelope super scribed "Financial Bid" containing **Annexure II**.
2. Both these envelopes and the covering letter accompanying the Tender Document (including all the Annexures), duly signed with seal on each page by the authorized representative of the Bidder, should be enclosed in a bigger third envelope, which shall be super scribed "**Bid for Providing Canteen Services and Manpower Supply at Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata**" and should reach the following address on or before the expiry of the prescribed time limit.

Assistant P.F. Commissioner/DDO,

ZONAL TRAINING INSTITUTE, EAST ZONE

(Unit of *Pd. Dindayal Upadhyay National Academy of Social Security*)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

7, Lu Hsun Sarani, Territy Bazar, **Kolkata – 700 073**

3. No Tender will be considered which is not as per the printed/typed form. The Bidders should ensure that each page of the tender is signed by the person authorized to sign the tender document, affixing the seal of the Bidder.
4. All entries in the Tender Forms should be legible and filled clearly. If the space for furnishing information is insufficient, a separate sheet, duly signed by the authorized signatory, may be attached. No corrections including overwriting or striking out, will be permitted in the Financial Bid. In such cases, the tender shall be summarily rejected.
5. If any Bidder is found to have business or family relationship with any employee of Zonal Training Institute, East Zone, his bid will be rejected.
6. No modification or substitution of the submitted bids shall be allowed.

7. The Bids shall be opened on the scheduled date and time at **Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata** in the presence of the representatives of the Bidders, if any, who are present on the spot at that time. No separate intimation shall be sent to Bidders for the same.
8. The Bidders are required to enclose photocopies of the supporting documents, self-certified by the authorized representative of the Bidder.
9. A Bid submitted without the cost (tender fees and EMD unless exempted under NSIC), or incomplete or conditional bids, shall not be considered and the same will be rejected.
10. Tenders will not be accepted after the prescribed time and date as set out in the Tender Notice or subsequent extensions, if any, as notified by the office.
11. Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata takes no responsibility for delay, loss, or non-receipt of the bid sent by post/courier. Bid sent through Fax or Email shall not be accepted.
12. Interested parties may submit their Tender after inspection of Canteen at the Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata at the above location. The inspection of the canteen premises can be made between 11.00 A.M. and 5.00 P.M. on all working days from the date of issue of notification till the date of closure of Tender.
13. There should be no cutting/overwriting in the Tenders/Quotations.
14. The Zonal Training Institute, Kolkata reserves the right to accept or reject any Tender / Quotation, in full or in part, in case of incomplete quotations and also without assigning any reason thereof. In case of any dispute, decision of the Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata will be final and binding.
15. The Zonal Training Institute, East Zone reserves the right to retain bids once submitted.
16. If there is any dispute in English and Hindi Tender document, English version will be followed. **Any proposal which is not submitted in accordance with these instructions will be summarily rejected without any communication in this regard.**

VI. TERMS AND CONDITIONS:

1. The successful Bidder will be intimated by the office whereupon she/he will enter into an agreement with the Zonal Training Institute, East Zone (ZTI, EZ) and commence the work immediately thereafter not later than 02 days from issuance of the intimation, or from the date specified in the Agreement. **The contract shall commence from the date of actual commencement of the work at the site.** The contract shall continue for one year unless it is curtailed or terminated by the office owing to deficiency of services, sub-standard quality of skilled and unskilled manpower deployed, breach of contract, reduction or cessation of the requirements, non-compliance of statutory requirements/obligations by the Bidder or any such ground as may be deemed fit by the Authority of Zonal Training Institute, East Zone. The Zonal Training Institute, East Zone requires that successful Bidder under this contract to observe the highest standard of ethics and should not engage in activities that conflict with the interest of the office under this contract.
2. It may be noted that in case the successful Tender-Applicant/Bidder does not accept the offer within 2 working days from the date of receipt of offer, the Earnest Money Deposit of the successful Tender-Applicant shall be forfeited and the Tender-Applicant shall be debarred for future participation in any of the tender invited by the Zonal Training Institute ,East Zone.
3. Contract will remain valid for a period of one Year from the date of awarding of contract. If any Tender-Applicant withdraws during the validity period, his/her Performance Security Guarantee will be forfeited.
4. All the above Terms and Conditions will form part and parcel of the Notice Inviting Tender.
5. **Electricity:** Free. But it should not be used for cooking purposes. The agency would use power consumption only for refrigerator, hot-case, grinding of pulses & spices and for such purposes as allowed by the Institute.

- 6.** Furniture required for use within the canteen premises will be provided by the Institute including racks required for storage purposes etc ;
- 7.** The contractor will have to make arrangement for cleanliness of canteen and its surroundings to the satisfaction of the Institute. The contractor shall also be responsible for the safe and hygienic disposal of the canteen waste ;
- 8.** Crockery, utensils etc. and items of similar nature of good quality as approved by the Institute, will be provided by this Institute and the Contractor will have to maintain the said items in proper and hygienic conditions, in due discharge of obligations in respect of running of canteen ;
- 9.** Arrangements to be made for Tea/ with Biscuits/Break Fast/Lunch/Snacks/Dinner on regular basis for about 20-30 persons and Lunch for 12-13 staff members on subsidized rate ;
- 10.** All the arrangements for cooking and keeping the food warm and water cool will be made by the agency ;
- 11.** All the edible items should be of good quality, prepared in fresh oil. The Institute reserves the right to inspect the materials at any time. If it is found that raw material used for food are of inferior quality, the contract would be terminated immediately and the Tender-Applicant would be blacklisted.
- 12.** The contractor will have to provide employees proper uniforms for service in the canteen as also for the service in rooms.
- 13.** The timings of the canteen will be as prescribed by the Institute from time to time subject to change. Skeleton services will also be provided beyond office hours as and when required.
- 14.** The cost of the Gas consumed in ZTI, EZ Canteen will be borne by the contractor and on expiry of the tenure of the contract NO DUES CERTIFICATE will have to be submitted to the Institute.
- 15.** The contractor will be required to provide canteen service in the canteen premises and also in various rooms of the Institute as and when required.

- 16.** The contractor shall employ only such persons as are declared medically fit as certified by the Govt. Hospital. No such employee will be under the age of 18 years. Documentary evidence will be provided by the contractor.
- 17.** The contractor will be required to provide Cooking Gas in the canteen premises.
- 18.** The contractor will be fully responsible for the repair/maintenance, cleanliness, breakage and damage done to the building and sanitary, electrical and any other fittings and fixtures installed in the space provided to him by the Institute for the purpose of preparing Lunch, Tea and Coffee. Furniture provided to the contractor will be maintained properly by the Canteen. Any loss/damage to the same will have to be made good by the Contractor, at his cost.
- 19.** Materials used for cooking purposes, such as Tea, Spices, Food stuffs, Vegetable; Oil etc. should be of good quality only.
- 20.** The contractor will take all necessary precautions against fire hazards and comply with rules and regulations as laid down by concerned local authorities and to the satisfaction of the Institute.
- 21.** Details of working lunch will be provided by the Institute as and when needed.
- 22.** No rate will be revised without the approval of the Institute.
- 23.** The contractor will have to pay the legal minimum wages to the staff engaged and comply with all statutory liabilities like Employees Provident Fund, ESIC, etc. as amended from time to time.
- 24.** The Institute shall not in any manner be treated as the employer of these employees nor shall the Institute be concerned with the terms of their employment, or conditions of their services, since the relationship of employer and employees shall always be considered to be between the contractor and such persons, as engaged by the Contractor. While engaging these employees, the contractor will make these conditions clear to them categorically and in writing, and their acceptance of these terms shall be communicated to the Institute also.

25. The contractor shall obtain license under the Contractor Labour (Abolition and Regulation) Act 1970 (hereinafter referred as the Contractor Labor Act) and all other requisite licenses at his own cost from the Appropriate Authorities and comply with the terms and conditions of the license(s). It is to be clearly understood and must be agreed upon that the entire responsibility for compliance with the relevant provisions of Acts and Rules applicable to doing business shall always be of the contractor.
26. Contractor will ensure that the canteen rooms are properly locked and secured during closed hours. The access to the space allotted to the contractor will be as per the conditions and in the mode as prescribed and regulated by the Institute from time to time which will be binding on him and his employees. The Institute reserves the right to inspect the premises allotted to the contractor including the canteen store at any time.
27. The contractor shall not entertain any orders and/or supply any food items from outside the Institute.
28. The contract will be awarded for **one year**. The Contract shall be effective and shall be deemed to commence with effect either from the date of signing of the agreement, or from the date which will be specified in the agreement. The agreement may be renewed by the Institute on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the parties. The Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata reserves the right to cancel the contract at any time after giving one month's notice, if it is not satisfied with the working of the said contractor. The decision of ZTI, EZ, Kolkata in this regard shall be final and will be binding on the contractor. The contractor, if he so desires, may seek termination of the contract by giving written notice of not less than three months duration during the agreement period.
29. The contractor shall, at all times, ensure discipline, decent and courteous behavior by his employees while they remain in premises of ZTI, EZ. In case any of his employees indulges in any act of indiscipline,

misbehavior or slogan shouting or indulges in violent act(s) or abets others in doing so, ill behaves and it is prima facie proved, the contractor shall remove the employee concerned from the premises immediately on receipt of written communication from the Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata which will be duly acknowledged by the contractor. The contractor shall be responsible for maintaining all their employees leave accounts/statutory benefits as per the rates of appropriate Government & all applicable laws as required.

30. Under exceptional circumstances the Institute reserves the right to change any term and condition as and when warranted.
31. In case of any dispute arising out of the interpretation of the terms and conditions of the contract, the decision of the Head of the ZTI, EZ, Kolkata will be final and binding.
32. The contractor will be required to execute an agreement in the prescribed form in case the contract is awarded.
33. The contractor will have to deposit Rs.20,000/- as Performance Security Guarantee in the form of **D.D.** drawn in favour of **Zonal Training Institute, East Zone payable at Kolkata**. No interest will be paid on this amount. The same will be refunded when the contract is over and canteen premises are handed over to the Institute in good conditions and all dues from the contractor have been settled.
34. The contractor will not further sub-contract the contract to any other party. In case the contractor is found having sub-contracted this contract, the contract will be terminated without any notice and security deposit will be forfeited.
35. Every Tender should be accompanied by a Demand Draft for Rs. 15,000/- drawn in favour of **Zonal Training Institute, East Zone payable at Kolkata** as earnest money. This amount will be refunded to all unsuccessful Bidders after the contract is finalized. No interest will be payable on this amount. The amount of EMD shall be returned to successful Bidder on submission of performance guarantee.

- 36.** In case, the contractor violates the terms & conditions of the contract, the Security Deposit will be forfeited.
- 37.** Consequent upon the introduction of Goods and Service Tax (GST), the contractor will pay the applicable GST on manpower service and food bills and it will be duly reimbursed through payment of respective bills as per rule.
- 38.** No request towards increase/hike in the price of any item specified in the menu chart will be entertained within the period of agreement and if the agency wants to discontinue the work within the period/currency of agreement, damage of Rs. 20,000/- per month will be levied for the remaining period of Agreement and adjusted against the dues payable by Zonal Training Institute, East Zone including earnest money and/or to be deposited by the agency or appropriate legal action to be initiated without giving further opportunity.
- 39.** The contractor, who accepts the terms and conditions as mentioned herein, shall submit the completed tender forms to this office in sealed cover by **4.30 P.M** on or before 08.06.2018. The tenders will be opened on 11.06.2018 at **2.30 P.M (Pre Qualification bid) and at 4.30 PM (Financial bid) at Zonal Training Institute, East Zone, Kolkata.**

VII. Indemnity:

- 1.** The contractor shall keep ZTI, EZ, EPFO and all Officers/Officials of these offices indemnified from and against all suits, losses, claims, demands, proceedings, and liability of any nature or kind including costs and expenses, injuries to any person, damages to any property whatsoever, levy of fees or consequences which they may be put to or suffer on account of the services undertaken by the contractor.
- 2.** The Contractor shall keep the ZTI, EZ, EPFO and all officers/officials of these offices indemnified from and against all suits, losses, claims, demands, proceedings, and liability of any nature brought or instituted against them by any of contractors' employees or any other third party in connection with, relating to or arising out of the performance of the

services or non-compliance, deficiency, non-implementation of various provisions of statutory requirements.

3. The contractor shall also execute an indemnity bond in favour of ZTI, EZ in the standard format, in this regard.
4. Decision of the Authority of ZTI, EZ, EPFO regarding performance of contract shall be final and binding on the contractor. However, any dispute arising out of this contract can be referred to an Arbitrator appointed by the EPFO.
5. All disputes are subject to jurisdiction of Kolkata Courts.

VIII. Force Majeure

1. Neither party shall be in breach of any obligation under this contract if it is unable to perform that obligation in whole or part by reason of Force Majeure. If either party seeks to rely on this clause, it shall immediately give notice to the other party with full particulars of the matter claimed as a Force Majeure event. The parties so affected shall take all reasonable steps to remedy the failure to perform and to keep the other party informed of the steps being taken to mitigate the effects of Force Majeure.
2. In the event of Force Majeure lasting for more than three months, either party may, following consultation with the other, give a notice of termination.

SIGNATURE OF THE TENDER-APPLICANT: _____

NAME IN BLOCK LETTERS: _____

FULL ADDRESS WITH TELEPHONE NUMBERS: _____

OFFICIAL STAMP _____

IX. Evaluation Criteria and Methodology:

1. Firstly, the envelopes containing Pre-Qualification Bids shall be opened in respect of all the Bidders.
2. The internal Evaluation Committee shall evaluate the Pre-qualifications Bids.
3. Only the Bids which have successfully qualified in the Pre-qualification stage shall reach the Financial Bid at the evaluation stage.
4. The Financial Bids of unsuccessful Bidders in Pre-qualification stage shall **NOT** be opened.
5. The Financial Bids of **only** the qualified Bidders in Pre-qualification stage shall be opened.
6. The Bidder quoting the least overall rates, subject to compliance with all laws and regulations, shall be accepted in the Financial Bid.

X. Details of space provided for the Canteen at the 3rd Floor of ZTI, EZ Office Building:

1. Wash Room;
2. Canteen Hall;
3. Kitchen adjacent to Canteen Hall;
4. Kitchen Store

Annexure-I: PROFORMA FOR PRE-QUALIFICATION BID

<u>Sr. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Documents Submitted</u>
1.	Name of Tendering Company/ Firm/ Agency (Attach certificates of registration)	Encl No.1
2.	Name of Proprietor / Director of Company/ Firm / Agency (Attach certificates of registration)	-do-
3.	Full Address of Registered Office with Telephone No., FAX and E-Mail / Mobile / Website together with that of branch offices, if applicable (Attach certificates of registration)	-do-
4.	Receipt/DD of Tender Fee	Encl No.2
5.	Demand Draft of EMD	Encl No.3
6.	Proof of Financial Turnover for last three years	Encl No.4
7.	An undertaking to deposit a performance security deposit as prescribed in this tender document in case selected as successful Bidder	Encl No.5
8.	PAN/TAN No. (Attach attested copy)	Encl No.6
9.	Affidavit stating that the agency is / has not been black listed by Centre / State Government /PSU/ Society/Trust/ Public Ltd. / Private Company	Encl No.7
10.	Attested Photocopies of Income Tax returns for the last 3 financial years.	Encl No.8
11.	A statement to have read, understood and agreed to the terms and condition of this tender together with a copy of this tender documents signed and stamped on each page by the Bidder/authorized representative.	Encl No.9
12.	Attested Photocopies of similar contract executed with Central Government offices / PSUs / Private Institute of Repute during last 3 financial years with certificates from such offices for successful performance of the work.	Encl No.10

Date:

Signature of the Contractor with Seal

Annexure – II

1. RATE CHART FOR SUPPLY OF FOOD (Apart from Charges from Mnpower) TO THE TRAINEES AT ZONAL TRAINING INSTITUTE, EAST ZONE

Days	Breakfast With tea	Lunch	Snacks with Tea	Dinner	Tea			Total
					Morning (Bed Tea) (6-6.30) AM	1 st Tea Break at 11.15 AM	2 nd Tea Break at 3.30 PM	
Sunday								
Monday								
Tuesday								
Wednesday								
Thursday								
Friday								
Saturday								
Total :								
Average for 07 Days								

Date:

Signature of the Contractor with Seal

Annexure-II

2. CHARGES FOR THE REQUISITE MANPOWER

SL.NO.	PARTICULAR	RATE (in RS.)
01	COOK	
02	ATTENDANT	
03	SERVER	

Date:

Signature of the Contractor with Seal

ZONAL TRAINING INSTITUTE, EAST ZONE, KOLKATA
MENU CHART FOR TRAINEES

BREAKFAST

DAY	TIME	LIST OF ITEMS TO BE SUPPLIED
Sunday	07:30 AM to 08:00 AM	Bread, Butter & Jam (4 Pcs), milk & cornflakes, Boiled Egg (1 Pc), Banana (1Pc), Sweet (1 Pc), Tea.
Monday	07:30 AM to 08:00 AM	Milk & Cornflakes, Upma/poha, Banana(1 Pc), Sweet (1Pc), Tea.
Tuesday	07:30 AM to 08:00 AM	Milk & Cornflakes, Alu Paratha (3 Pcs), Chana Dal/Ghugnee, Banana(1 Pc), Sweet (1 pc), Tea.
Wednesday	07:30 AM to 08:00 AM	Milk & Cornflakes, Puri (6Pcs), Alu Sabji, Banana (1 Pc), Sweet(1pc), Tea.
Thursday	07:30 AM to 08:00 AM	Milk & Cornflakes, Bread, Butter & Jam (4pcs), Boiled Egg (1pc), Apple (1pc), Sweet (1pc), Tea.
Friday	07:30 AM to 08:00 AM	Milk & Cornflakes, Idly with sambhar, Sweet (1Pc), Banana (1pc), Tea.
Saturday	07:30 AM to 08:00 AM	Bread, Butter & Jam (4 Pcs), milk & cornflakes, Boiled Egg (1 Pc), Banana (1Pc), Sweet (1 Pc), Tea.

LUNCH

DAY	TIME	LIST OF ITEMS TO BE SUPPLIED
Sunday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Egg curry (2pcs), Curd
Monday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Fish Item (Minimum 70 gms.), Salad, Papad, Curd.
Tuesday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, Dhoka 2 pcs, Fish Items (Minimum 70 gms.), Salad, Papad, Curd.
Wednesday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Chicken Curry (Minimum 100 gms.), Salad, Papad, Chatni/Curd
Thursday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Fish Items (Minimum 70 gms.), Salad, Papad, Curd.
Friday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Mutton Curry (Minimum 100grms), Papad, Salad, Chatni/Curd,
Saturday	12:45 PM to 02.00 PM	Rice./Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg, Egg curry (2pcs), Chatni, Papad, Curd

SNACKS WITH TEA

DAY	TIME	LIST OF ITEMS TO BE SUPPLIED
Sunday	5.00 PM TO 6.00 PM	Vegetable Dry Fry
Monday	5.00 PM TO 6.00 PM	Dhokla
Tuesday	5.00 PM TO 6.00 PM	Paneer Pakora
Wednesday	5.00 PM TO 6.00 PM	Samosa
Thursday	5.00 PM TO 6.00 PM	Paneer Pakora
Friday	5.00 PM TO 6.00 PM	Vegetable Cutlet
Saturday	5.00 PM TO 6.00 PM	Mixed Vegetable Crispy Fry

DINNER

DAY	TIME	LIST OF ITEMS TO BE SUPPLIED
Sunday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice /Roti, Dal, Bhaji, One Seasonal Veg. Sabji, Papad, Curd.
Monday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice./Roti,Tarka/ Dal, One Seasonal Veg. Sabji, Fish Curry (Minimum 70 gms), Salad, Curd.
Tuesday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice /Roti, Dal/ Chana Masala, Mixed Vegetable, Papad, Curd, Sweet.
Wednesday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice. /Roti, Dal, Seasonal Veg, Fish Curry(70 gm.), Salad, Curd, Sweet.
Thursday	08:30 PM to 09:30 PM	Fried Rice/Roti, Alur Dam/Dhoka Curry (4 Pcs), Egg curry (02 pcs), Chatni (Papaya/Date)
Friday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice /Roti, Dal, One seasonal Veg. Sabji, Egg/Omlet Curry, Salad, Sweet.
Saturday	08:30 PM to 09:30 PM	Rice /Roti, Dal /Chana Masala, Paneer, Salad, Papad.

- Note:**
- 1. Veg. Sabji should be of different types each day i.e. Ladies Finger, Cauli Flower, Green Peas, Capsicum, Beans, mixed vegetable etc.**
 - 2 Fish items should vary each day with different type of fish available in the market i.e. Prawns, Pomplate, Katla, Rohu, Pabda etc.**
 - 3. Food chart is to be followed strictly.**